

ख़राब अप्रवासन सलाह मिली है क्या?

हम मदद कर सकते हैं

यदि आपको अपने अप्रवासन सलाहकार या उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्बन्ध में कोई समस्या है, तो आप **अप्रवासन सलाह प्राधिकरण (IAA)** से इसकी शिकायत कर सकते हैं। हम यहां UK में अप्रवासन सलाह के मानकों को बनाए रखने के लिए ही हैं और हम ख़राब सलाह देने वाले या गैरकानूनी तरीके से काम करने वाले सलाहकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।



शिकायत करने के लिए

हमें ईमेल करें

info@immigrationadviceauthority.gov.uk

हमारे ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करके शिकायत करने के लिए यहां स्कैन करें



**Immigration
Advice
Authority**

सर्वोत्तम कार्य पद्धति को बढ़ावा देना,
सलाह मांगने वालों की रक्षा करना